



2026:AHC:38748-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं - 1986/2026

हृद्देश

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : नन्द किशोर मिश्रा , पवन कुमार त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय क्रमांक – 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह तत्काल रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 25.12.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) को रद्द करने के प्रार्थनापत्र के साथ दायर की गई है, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धाराएं 191(2), 191(3), 190, 109(1), 351(2) के अंतर्गत अपराध

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पंजीकृत करते हुए थाना कोतवाली नगर, जिला महोबा में अपराध संख्या 0625 / 2025 पंजीकृत किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष है तथा उसके विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण आशय से झूठा अभियोग पंजीकृत किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध, जिसकी शिकायत की गई है, अभिसूचित नहीं होता है, अतः विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द किए जाने योग्य है।

5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आठ नामजद अभियुक्तों तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर किए गए हमले के कारण, पीड़ित रविंद्र चौरसिया घायल हो गया है तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण भी किया गया है।

6. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपराध अभिसूचित होता है, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राज्य तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जल्लानी, (2017) 2 एस.सी.सी. 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 315** तथा हाल के निर्णय **आपराधिक अपील संख्या 843 / 2024, निदेशालय प्रवर्तन बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य** में प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द नहीं की जा सकती है।

7. याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादों पर विचार करने तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा आठ नामजद अभियुक्तों तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर किए गए हमले के कारण, पीड़ित रविंद्र चौरसिया घायल हो गया है तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण भी किया गया है।

8. इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए आरोपों, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) द्वारा उद्धृत प्रासंगिक विधि तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध अभिसूचित करती है, हम इस राय के हैं कि “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द नहीं की जा सकती है, अतः विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किए जाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

9. तथापि, यदि याचिकाकर्ता सक्षम न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत / नियमित जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर यथाशीघ्र विधि के अनुसार विचार कर निर्णय किया जाएगा।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह प्रस्तुत रिट याचिका अंततः **निस्तारित** की जाती है।

20 फरवरी , 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”